भारत सरकार
कार्यालय महाप्रबंधक
शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना,
गाजीपुर (उ0प्र0)– 233 001

फा0सं0–2/24/2019/PSC दिनांक– 11th April, 2019

प्रति,

नोटिस बोर्ड/विभागीय बेबसाईड

महोदय,

विषय :– Activated Carbon Powder, Type-II केमिकल्स के क्रय करने हेतु दर हेतु कोटेशन ।

महाप्रबन्धक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर द्वारा निम्न सामग्री क्रय करने हेतु प्रतिष्ठान में बन्द लिफाफे में निर्धारित प्रोफार्मा में दर उल्लेखित करने हेतु कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। केवल GSTIN पोर्टल पर GST मे रजिस्टर्ड फर्म ही निविदा डालने के पात्र होगें। कोटेशन को दिनांक 02.05.2019 तक 4.00 बजे अपराह्न तक दिया जा सकता है। उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद प्राप्त कोटेशन स्वीकार नहीं किए जायेगें। कोटेशन दिनांक 02.05.2019 को 4.30 बजे अपराह्न में खोली जायेगी।

क्रम सं.	सामग्री का विवरण (पूरे स्पेशिफिकेशन सहित)	मात्रा/संख्या/वजन आदि (इकाई के साथ)
1	2	3
1.	Activated Carbon Powder, Type-II Make- CDH	**200** Kgs.

नोट :– (1) सामग्री के मात्रा में कमी / बढ़ोतरी हो सकती है।
(2) उक्त निविदा भारत सरकार के वेबसाईट **www.eprocure.gov.in** पर उपलब्ध है।

नियम एवं शर्ते

(I) कोटेशन कार्यालय द्वारा जारी कोटेशन प्रोफार्मा के अनुसार ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए, अन्यथा उसपर विचार नहीं किया जायेगा। दर के साथ–साथ प्रोफार्मा में प्रत्येक आईटम की कुल कीमत (कॉलम 7) एवं संपूर्ण आपूर्ति की कुल कीमत को अन्त में अंकों एवं शब्दों में लिखना अनिवार्य है तथा ऐसा न करने पर कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा। कोटेशन में किसी भी तरह की ओवर राईटिंग मान्य नहों होगी। विशेष परिस्थितियों में किसी प्रकार की कटिंग होने पर फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए।

(II) कोटेशन दाता का हस्ताक्षर, नाम एवं फर्म की सील आदि न होने पर उसका कोटेशन मान्य नहीं होगा।

(III) **GST** ऐक्ट के तहत सामग्री का कोड दर्शाना आवश्यक है।

(IV) यदि वस्तु को अधिकतम खुदरा मूल्य(maximum retail price) के आधार पर बेचे जाने का प्रावधान है तो कोटेशन के प्रोफार्मा में दर के कालम (कॉलम 5) में अधिकतम खुदरा मूल्य पर दी जाने वाली छूट (discount) का प्रतिशत दें। छूट के बाद देय मूल्य में सभी कर सम्मिलित माने जायेगें।

(V) सामग्री की आपूर्ति सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना के अल्कालायड स्टोर/जनरल स्टोर में करना अनिवार्य है।

(VI) अपजीकृत फर्मो के द्वारा कोटेशन दिए जाने के समय (Bid Security) रू0 3930.00 (डिमांड ड्राफ्ट/एफ.डी.आर./बैकर्स चेक अथवा बैंक गारंटी के रूप में) अग्रिम जमानत राशि एवं (Tender Fees) रू0 100.00(ट्रेजरी में नगद अथवा डिमांड ड्राफ्ट), प्रबंधक, सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर के नाम जमा करना होगा। अग्रिम जमानत राशि टेण्डर के साथ न होने की स्थिति में, टेण्डर पर विचार नहीं किया जाएगा तथा पूर्व में किसी अन्य मद में जमा धनराशि भी मान्य नहीं होगी। EMD के रूप में नगद अग्रिम धनराशि स्वीकार नहीं की जाएगी। EMD से छुट प्राप्त फर्मे सम्बन्धित प्रमाण पत्र अवश्य लगायें। निविदा में सफल दर दाता को कुल मूल्य का दस प्रतिशत परफोरमेंस सिक्योरिटी सी0डी0 आर0/ बैंक ड्रॉफ्ट/बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगा। सामग्री के आपूर्ति ,एवं बिलों के भुगतान के दो माह पश्चात् आपूर्तिकर्ता को इस सम्बन्ध में पत्र प्राप्ति के लगभग पन्द्रह दिनों के भीतर परफॉरमेंस सिक्योरिटी वापस कर दी जाएगी।

(VII) फर्मो द्वारा दिए गए दर की वैद्यता कोटेशन खोले जाने के तिथि/दिन से एक वर्ष की होगी। इस सम्बन्ध में एक वर्ष से कम. की वैद्यता मान्य नहीं होगी। कोटेशन दाता द्वारा कम दिनों की वैद्यता देने की दशा में उनके कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(VIII) उपरोक्त सामान की आपूर्ति, आदश प्राप्ति के लगभग 30 दिनों के भीतर करनी होगी। आपूर्ति हेतु वास्तविक अवधि / तारीख, आपूर्ति आदेश में दी जाएगी तथा इस सम्बन्ध में, आपूर्ति हेतु अधिक समय की मॉग बिना समुचित कारण के स्वीकार्य नही होगी। आपूर्ति कर्त्ता द्वारा कोटेशन दिये जाने की स्थिति में यह माना जायेगा कि आपूर्ति हेतु दी गयी समय–सीमा एवं अन्य शर्ते उन्हें पूर्णतया मान्य है। आपूर्ति कर्ता द्वारा आपूर्ति हेतु ज्यादा अवधि मॉगे जाने की स्थिति में उसे
आपूर्ति हेतु अनिच्छुक समझाा जायेगा यदि वह विभाग द्वारा आपूर्ति हेतु दी गयी समय सीमा (बढ़ायी गयो समय सीमा को मिलाकर) में आपूर्ति करने हेतु राजी नहीं होता है या दी गयी समय सीमा में आपूर्ति करने में असमर्थ रहता है।

Cont.page no.2

(IX) सामग्री आपूर्ति के लिए दिये गये आपूर्ति अवधि के बाद (विलंब से) आपूर्ति करने पर निम्नांकित कटौती किया जाएगाः–

i.	प्रथम 07 (सात) दिन तक के विलम्ब पर	मूल्य से 1 % (दो प्रतिशत) कटौती
ii-	उपरोक्त(i) के बाद अगले 08 (आठ) दिन तक या उसके किसी अंश के विलम्ब पर	मूल्य से 2% (पॉच प्रतिशत) कटौती
iii-	कुल 15 (पन्द्रह) दिनों से अधिक का विलम्ब होने होने पर	मूल्य से 5% (दस प्रतिशत) कटौती

(X) प्रतिष्ठान के सुरक्षा क्षेत्र में सामग्री आपूर्ति / कार्य हेतु जाने के लिए गेट पास जारी होने के पश्चात् प्रवेश करना होगा। आपूर्ति / कार्य हेतु सुरक्षा क्षेत्र में जाने के लिए ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को ले जाने के लिए उनके पहचान का निर्धारित प्रारूप दो प्रतियों मं भर कर शपथ पत्र देना होगा जिसके आधार पर ही पास जारी किया जायेगा।

(X) वी.पी.पी. आधार पर लेन देन स्वीकार्य नहीं होगा तथा सामान की आपूर्ति के लगभग 15 से 20 दिनों के अन्दर बिना किसी ब्याज के भुगतान किया जायेगा।

(XII) आपूर्ति कर्ता / निविदा धारक के द्वारा अन्य कोई शर्तें मान्य नहीं होगी। आपूर्तिकर्ता द्वारा अपनी तरह से अन्य शर्तें देने की दशा में उसे आपूर्ति हेतु आपूर्तिकता द्वारा अनिच्छुक माना जा सकता है यदि वह अन्ततः ऐसी किसी अतिरिक्त शर्त / शर्तों को वापस नहीं लेता है तथा ऐसे कोटेशनों को बिना कोई कारण बतायें निरस्त कर दिया जाएगा।

(XIII) सामान की आपूर्ति में अयुक्तियुक्त (unreasonable) देरी होने से आपूर्ति आदेश, आपूर्ति से पूर्व किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में महाप्रबंधक का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

(XIV) देरी से (निर्धारित या बढ़ी हुई समय सीमा के बाद) आपूर्ति करने पर आपूर्ति कर्ता को आपूर्ति आदेश में दिए गए नियमों के अनुसार जुर्माना देना होगा।

(XV) सामग्री की वापसी :– जांच/परीक्षण में यदि सामग्री आपूर्ति में दिए मानकों /विशिष्टियों के अनुरूप नहीं पायी गयी तो वह स्वीकार्य नही की जायेगी तथा आपूर्तिकर्त्ता उस सामग्री को स्वयं के व्यय पर मॉगकर्त्ता द्वारा इस सम्बन्ध में सूचित किए जाने के एक सप्ताह या महाप्रबंधक द्वारा आवेदन पर बढ़ायी गयी समय सीमा के अन्दर वापस ले जाने के लिए बाध्य होंगें। यदि सामग्री उपरोक्त समय सीमा में वापस नहीं ले जायी जाती है तो रू0 50/– प्रतिदिन के दर से रख–रखाव शुल्क आपूर्ति कर्ता के बिजक / जमानत राशि से वसूल की जाएगी अथवा सामग्री का यथा उचित निस्तारण बिना किसी अन्य सूचना के कर दिया जाएगा जिसके लिए कोई भुगतान देय नहीं होगा। इस सबंध में महाप्रबंधक का निर्णय अंतिम होगा एवं आपूर्ति कर्ता को मान्य होगा। आपूर्ति के समय, आपूर्तिकर्ता को सामग्री के परीक्षण / जॉच की तारीख एवं समय दिया जायेगा ताकि आपूर्तिकर्ता द्वारा आवश्यक समझे जाने पर वह अपने समक्ष या अपने द्वारा लिखित रूप में अधिकृत व्यक्ति के समक्ष सामग्री का परीक्षण करा सकेगा। आपूर्तिकर्ता द्वारा तारीख व समय न लेने की स्थिति में यह माना जायेगा कि वह सामग्री की जॉच अपनी उपस्थिति में करवाने को इच्छुक नहीं है। यदि आपूर्ति की जाने वाली सामग्री रसायन श्रेणी की है तो सामग्री के साथ उसका जॉच प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट ऑफ एनॉलिसिस) प्रस्तुत करना होगा।

(XVI) आपूर्ति किए गए सामग्री के भुगतान हेतु बिजक के उपर सामग्री का **GST** कोड, वास्तविक मूल्य, कर की दर एवं राशि अलग–अलग दर्शाना आवश्यक है अन्यथा बिजक स्वीकार्य नहीं होगा।

(XVII) आपूर्ति आदेश में दर्शाये विवरण के अनुसार ही बिजक में सामग्री का विवरण दर्शाना होगा अन्यथा बिजक स्वीकार्य नहीं होगा।

(XVIII) यह प्रतिष्ठान केन्द्रीय नियम (सेंट्रल रूल) सं0 195/1957 के अन्तर्गत पंजीकृत है एवं प्रतिष्ठान का GST No. 09AAAGG0195B1ZS है।

(XIX) महाप्रबंधक के पास किसी या सभी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार होगा जिसके लिए कोई भी सूचना देना आवश्यक नहीं होगा।

(XX) आपूर्ति अवधि मुक्ति मुक्त कारण होने पर बढ़ाये जाने का अधिकार महाप्रबन्धक महोदय को होगा।

(XXI) टेन्डर के साथ निर्धारित कोटेशन प्रोफार्मा निर्धारित EMD अथवा EMD छूट होने का प्रमाण पत्र GSTN प्रमाण पत्र आवश्य होने चाहिए।

प्रशासनिक अधिकारी

संलग्नक–कोटेशन देने हेतु प्रोफार्मा

बन्द लिफाफे में

कोटेशन प्रोफार्मा -

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना,
गाजीपुर।

महोदय,

निम्नलिखित सामग्री की आपूर्ति हेतु आपके कार्यालय द्वारा जारी कोटेशन पत्र फा. सं. 2/24/2019/पी.एस.सी. दिनांक 02.05.2019.के सन्दर्भ में हमारा दर निम्नवत है :–

(अ) दर भरने की सारणी

कम सं.	सामग्री का विवरण (पूरे स्पेशिफिकेशन सहित)	मात्रा/ संख्या/ वजन आदि (इकाई के साथ)	दर' प्रति यूनिट(रू में)	GST की दर, HSN Code व धनराशि	आईटम वाईज कुल कीमत (रू. मे)
1	2	4	5	6	7
1.	Activated Carbon Powder, Type-II Make- CDH	200 Kgs.			
	Total				

कुल कीमत (अंकोंएवं शब्दों म) ....

(ब) नियम एवं शर्ते

(i) सभी कर जैसे की **GST** आदि स्पष्ट रूप से अंकित किए गये है।

(ii) यदि वस्तु को अधिकतम खुदरा मूल्य(maximum retail price) के आधार पर बेचे जाने का प्रावधान है तो कालम नं0 (5) में दिया गया दर अधिकतम खुदरा मूल्य पर दी जाने वाली छूट (discount) के बाद दिया गया है तथा दी जाने वाली छूट का प्रतिशत दर के साथ लगे कोष्टक में अंकित है। इस दर में सभी कर (टैक्सेज) सम्मिलित हैं।

(iii) हमारी फर्म शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर में आपूर्ति हेतु पंजीकृत है ।.

–––––अथवा–––––––

अपजीकृत फर्मों के द्वारा कोटेशन दिए जाने के समय (Bid Security) रू0 3,930.00 (डिमांड ड्राफ्ट,एफ.डी.आर.,बैकर्स चेक एवं बैक गारंटी के रूप में) अग्रिम जमानत राशि एवं (Tender Fees) रू0 100.00(ट्रेजरी में नकद अथवा डिमांड ड्राफ्ट), प्रबधक, सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर के नाम जमा करना होगा। अग्रिम जमानत राशि टेण्डर के साथ न होने की स्थिति में, टेण्डर पर विचार नहीं किया जाएगा तथा पूर्व में किसी अन्य मद में जमा धनराशि भी मान्य नहीं होगी। नगद अग्रिम धनराशि स्वीकार नहीं की जाएगी। (iv) उपरोक्त दर की वैद्यता कोटेशन खोले जाने की तिथि/दिन से 180 दिनों तक लागू होगी।

(v) उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति, आपूर्ति आदेश में दी गयी आपूर्ति समय– सीमा के अन्दर की जायेगी। केवल अपरिहार्य कारणों एवं परिस्थितियों में ही आपूर्ति समय सीमा बढ़ाने का आग्रह किया जायेगा और इस विषय में महाप्रबंधक का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

(vi) दर देने से पूर्व सामग्री की उपलब्धता की जॉच कर ली गयी है एवं उसे नियत समय अवधि के अन्दर आपूर्ति किया जाएगा। जब तक आपूर्ति आदेश के अनुसार पूर्ण आपूर्ति नहीं की जायेगी तब तक भुगतान की मॉग नहीं की जाएगी एवं अधूरे आपूर्ति के स्थिति में आरोपित किए गए आर्थिक दण्ड मान्य होगा।

(vii) देरी से (निर्धारित या बढ़ी हुई समय सीमा के बाद) आपूर्ति करने पर नियमानुसार दण्ड देय/ मान्य होगा।

(viii) जांच/परीक्षण में यदि सामग्री आपूर्ति में दिए मानकों /विशिष्ठियों के अनुरूप नहीं पायी गयी तो वह स्वीकार्य नही की जायेगी तथा आपूर्तिकर्ता उस सामग्री को स्वयं के व्यय पर मॉगकर्ता द्वारा इस सम्बन्ध में सूचित किए जाने के एक सप्ताह या महाप्रबंधक द्वारा आवेदन पर बढ़ायी गयी समय सीमा के अन्दर वापस ले जाने के लिए बाध्य होंगें। यदि सामग्री उपरोक्त समय सीमा में वापस नहीं ले जायी जाती है तो रू0 50/– प्रतिदिन के दर से रख–रखाव शुल्क आपूर्ति कर्ता के बिजक / जमानत राशि से वसूल की जाएगी। आपूर्तिकर्ता द्वारा सामग्री को दी गयी समय सीमा में वापस न लेने पर उसका विभाग द्वारा यथा उचित निस्तारण बिना किसी अन्य सूचना के कर दिया जाएगा जिसके लिए न ही कोई भुगतान देय होगा और न ही हमारे द्वारा अस्वीकृत सामग्री हेतु किसी तरह के भुगतान की मॉग की जायेगी। इस सबंध में महाप्रबंधक का निर्णय अंतिम होगा एवं आपूर्ति कर्ता को मान्य होगा। आपूर्ति के समय, आपूर्तिकर्ता को सामग्री के परीक्षण / जॉच की तारीख एवं समय दिया जायेगा ताकि आपूर्तिकर्ता द्वारा आवश्यक समझे जाने पर वह अपने समक्ष या अपने द्वारा लिखित रूप में अधिकृत व्यक्ति के समक्ष सामग्री की परीक्षण करा सकेगा। आपूर्तिकर्ता द्वारा तारीख व समय न लेने की स्थिति में यह माना जायेगा कि वह सामग्री की जॉच अपनी उपस्थिति में करवाने को इच्छुक नहीं है।

Cont.page no.2

(ix) आपूर्ति की जाने वाली सामग्री रसायन श्रेणी की होने पर सामग्री के साथ जॉच प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट ऑफ एनॉलिसिस) प्रस्तुत किया जायेगा।

भवदीय,

स्थान :–
दिनांक :–

(क) (हस्ताक्षर)
(फर्म की सील)
फर्म का पूरा नाम व पता
GSTIN सं0–

(I) मेरे द्वारा दर के सारणी (अ) के क0 सं0 1 से 7 तक सभी प्रविश्टियॉ पूर्ण रूपे भरी गयी हैं।
(II) मेरे द्वारा कुल कीमत अंकों एवं शब्दों में भरी गयी हैं।
(III) मेरे द्वारा निविदा एवं बिजक के प्रत्येक प्रति में हस्ताक्षर में भिन्नता नहीं पायी जाएगी तथा बिजक पर रसीदी टिकट अवश्य लगायी जाएगी। अगर हस्ताक्षर में भिन्नता पाई जाती है या रसीदी टिकट नहीं लगायी जाती है तो समय से भुगतान प्राप्त करने का मेरा कोई अधिकार नहीं होगा।

(ख) (हस्ताक्षर)
(फर्म की सील)
फर्म का पूरा नाम व पता
GSTIN सं0–

घोषणा

मैं श्री.. निविदा सं0 .... दिनांक................................ में सभी नियमों को भलीभॉति जान लिया है एवं उसका अनुपालन करता हूॅं। यदि निविदा में कोई त्रुटि या अनियमतायें या निविदा पूर्ण रूप से भरी नहीं पाई जाती है तो मेरे निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार महाप्रबंधक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर को होगा। मेरे द्वारा निविदा फार्म के बिन्दु क, ख एवं ग पर हस्ताक्षर एवं मुहर लगायी गयी है तथा मेरी फर्म का पूरा पता दिया गया है।

स्थान :–
दिनांक :–

(ग) (हस्ताक्षर)
(फर्म की सील)
फर्म का पूरा नाम व पता
GSTIN सं0